कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

उत्तराखण्ड

विवरणिका

(Brochure)

एम0एड0 – प्रवेश परीक्षा 2017

(सत्र – 2017–19)

ऑनलाइन आवेदन

एम0एड0 प्रवेश परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश

आवेदन शुल्क ₹700 + बैंक कमीशन

आवेदन हेतु लाइन खुलने व शुल्क जमा किये जाने की तिथि	05.05.2017
शुल्क जमा किये जाने की अन्तिम तिथि	31.05.2017
आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	02.06.2017

1. **प्रवेश प्रक्रियाः** कुमाऊँ विश्वविद्यालय के तहत संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश–परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंकों की वरीयता तथा तत्समय लागू आरक्षण नियमों के तहत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच के उपरान्त निर्धारित तिथियों के मध्य प्रवेश दिए जाएंगे।

2. **प्रवेश–परीक्षा हेतु अर्हता तथा पात्रताः**

    2.1. एन0सी0टी0ई0 रेगुलेशन, 2014 द्वारा निर्धारित मानकों के तहत एम0एड0 प्रवेश परीक्षा हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने कुमाऊँ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त/विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0टी0/एल0टी0/बी0एल0एड0/डी0एल0एड0/बी0ए0 बी0एड0/बी0एस0सी0 बी0एड0 या बी0एड0 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा **सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।**

    2.2. **बी0एड0 में अध्ययनरत् अभ्यर्थी (Appearing Student) आवेदन के पात्र नहीं हैं।**

    2.3. यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

    2.4. कोई भी प्रवेशार्थी 2015 की परीक्षा में दो वर्ष के लिए तथा 2016 की परीक्षा में एक या दो वर्ष के लिए अनुचित साधन के कारण विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किए गए हैं, तो उन्हें प्रवेश प्रतिबन्धित है।

3. **प्रवेश–परीक्षा का स्वरूप एवं प्रश्न–पत्रः** प्रवेश परीक्षा हेतु 01 ही प्रश्न–पत्र होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का एवं 150 अंकों का होगा। इस परीक्षा हेतु 02 (दो) घण्टों का समय

निर्धारित है। परीक्षा में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने हेतु ओ0एम0आर0 पत्रक का प्रयोग किया जाएगा, जिस हेतु अभ्यर्थी काले/नीले रंग के बाल–पॉइण्ट पैन का प्रयोग करेगा। इस परीक्षा में गलत उत्तरों पर ऋणात्मक अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। यह प्रश्न–पत्र कुमाऊँ विश्वविद्यालय के बी0एड0 पाठ्यक्रम के निम्नलिखित प्रश्नपत्रों पर आधारित होगा –

1- Teacher in Emerging Indian Society

2- Development of learner and teaching-learning process.

3- Development of Educational systems in India.

4- Essentials of Educational Technology and Management.

4. **प्रवेश में आरक्षण:** वर्तमान में लागू विभिन्न शासनादेशों के तहत एम0एड0 कक्षा में आरक्षण के नियम निम्नानुसार है –

4.1. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्र में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रमाण पत्रों की जाँच तथा प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे। प्रमाणपत्र के अभाव में आरक्षण श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा।

4.2. आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है –

क –	1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14 प्रतिशत
	2. अनुसूचित जाति (SC)	19 प्रतिशत
	3. अनुसूचित जनजाति (ST)	04 प्रतिशत

नोट: केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि (आवेदन तिथि के 12 माह के भीतर) का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाणपत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा तथा यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड के निवासियों हेतु होगा–

ख–	1. विकलांग (Handicapped)	03 प्रतिशत (1.5% नेत्रहीन 1.5% अन्य)
	2. महिलायें (Women)	30 प्रतिशत
	3. भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) (Ex-Army)	02 प्रतिशत
	4.स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (Dependents of Freedom Fighter)	02 प्रतिशत

4.3. आरक्षण श्रेणी का लाभ केवल संलग्न/आधिकारिक प्रारूपों पर प्राप्त प्रमाणकों पर ही दिया जाएगा। पृथक से भाषाबद्ध प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी का प्रमाण पत्रों की जांच के समय संज्ञान लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं हागा। सम्बन्धित प्रारूप इस विवरणिका के अन्त में दिए गए हैं।

4.4. अनधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रमाणपत्र जो नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

4.5. विकलांग प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। चर्मरोग से ग्रसित, हकलाने वाले, मूक–बधिर अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन न करें। इनके प्रवेश पर कोई विचार सम्भव नहीं होगा।

4.6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित प्रवेशार्थी जिला शिक्षा अधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र जाँच तथा प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

4.7. भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के पात्र प्रवेशार्थी संबंधित कमाडिंग ऑफीसर/सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जाँच के समय प्रस्तुत करने पर ही वांछित लाभ के पात्र होंगे।

5. **कुमाऊँ विश्वविद्यालय में सत्र 2017–19 में एम0एड0 कक्षाओं का संचालन एवं सीटों की संख्याः** वर्तमान में शिक्षाशास्त्र विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय, परिसर अल्मोड़ा तथा सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैण्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, रूद्रपरु में एम0एड0 कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें प्रवेश हेतु क्रमशः 50 रिक्तियाँ एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा में तथा 50 रिक्तियाँ एस0आई0एम0टी0, रूद्रपुर में उपलब्ध हैं। प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाता है।

6. **प्रवेश–परीक्षा शुल्कः** ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु शुल्क रु0 700 तथा बैंक शुल्क (700+बैंक शुल्क) है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के आई–कलैक्ट के माध्यम से किया जाना होगा। बैंक द्वारा भुगतान की पुष्टि किए जाने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होगा। **आवेदन–शुल्क किसी भी दशा में वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा।**

7. **प्रवेश–परीक्षा हेतु आवेदनः** सत्र 2017–19 की प्रवेश–परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। **व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन–पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

8. **प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र भरनाः**

8.1. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को कुमाऊँ विश्वविद्यालय की वैब साइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के होम पेज (Home page) का प्रयोग करना होगा।

8.2. होम पेज में आवेदन–पत्र भरने हेतु दिए गए निर्देश निम्नानुसार हैं –

8.2.1. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका को पढ़ लें तथा अपनी अर्हता के बारे में सुनिश्चित हो जाएं। **एक बार प्रवेश–परीक्षा शुल्क जमा हो जाने पर उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा।**

8.2.2. ऑनलाइन आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियों को भरना अनिवार्य है। **आवेदन–पत्र में अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल पते को अवश्य भरें। इन दोनों को प्रवेश–प्रक्रिया सम्पादित होने तक चालू स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।**

8.2.3. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र को सभी दृष्टिकोण से पूरा करना है तथा अपना पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर वैबसाइट के सम्बन्धित बॉक्स में अपलोड करने हैं।

8.2.4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को submit करने से पूर्व सभी **प्रविष्टियों की सावधानी पूर्वक जाँच कर लें, क्योंकि submit किए जाने के पश्चात इन प्रविष्टियों में बदलाव नहीं किया जा सकता।**

8.2.5. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने, हस्ताक्षर व फोटोग्राफ अपलोड करने के पश्चात तथा समस्त जानकारी को जाँचने के बाद submit **करना होगा।अभ्यर्थियों को अपने आवेदन–पत्र का प्रिंट–आउट (printout) लेना है, जिसकी प्रति उनके द्वारा भविष्य में पत्राचार हेतु सुरक्षित रखा जाएगा एवं प्रमाण पत्रों की जाँच के समय प्रस्तुत करनी होगी।**

8.3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया में निम्न पद (steps) निहित हैं–

पद – 1: उचित पाठ्यक्रम (बी0एड0/**एम0एड0**/एल–एल0बी0/एल–एल0एम0) का चयन।

पद – 2: निर्देशिका को वैबसाइट से डाउनलोड करना तथा समस्त नियमों का अध्ययन।

पद – 3: वैबसाइट के होम पेज पर दिए गए [Pay Fee] लिंक की सहायता से शुल्क जमा करना।

पद – 4: वैबसाइट के होम पेज पर दिए गए लिंक [Apply Online] में बैंक द्वारा दिये गये रिफरेन्स नम्बर तथा जन्मतिथि की सहायता से जाना तथा आवेदन–पत्र भरना।

पद – 5: Upload Image लिंक का प्रयोग करते हुए अपना पासपोर्ट साइज का **फोटोग्राफ** तथा **हस्ताक्षर** अपलोड करना तथा भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँच के पश्चात Submit करना। यदि दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन किया जाना है तो **Fill Again** द्वारा जानकारी को परिवर्तित करके **Confim** करेगा

पद – 6: Print Application लिंक पर जाकर अपने आवेदन पत्र को प्रिंट करना। **(अभ्यर्थी प्रिंट किये गये आवेदन पत्र की प्रति को भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखेगा तथा निर्धारित जाँच केन्द्रों में प्रमाण पत्रों की जाँच के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।)**

उपरोक्त छः पदों में निहित गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं –

पद–1: पाठ्यक्रम का चयन: विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश–आवेदन हेतु पाठ्यक्रम (बी0एड0/**एम0एड0**/एल–एल0बी0/एल–एल0एम0) का चयन किया जायेगा।

पद – 2: निर्देशिका का अध्ययन व मुद्रण: विश्वविद्यालय की वैबसाइट www. kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home Page में प्रवेश–परीक्षा प्रक्रिया तथा विभिन्न नियमों सम्बन्धी यह विवरणिका (Information Brochure) दी गई है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका को डाउनलोड कर भलीभाँति अध्ययन कर लें तथा इसका मुद्रण कर अपने पास सुरक्षित रखें।

पद – 3: आवेदन शुल्क जमा करना: अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home page के Pay Fee वाले Option में जाकर आवेदन–शुल्क (रु0 700+बैंक शुल्क) जमा करेगा, जिस हेतु उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की I-Collect सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिसके माध्यम से वह शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान अथवा इण्टरनैट बैंकिंग अथवा क्रैडिट/डैबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है।

पद – 4: परीक्षा–आवेदन पत्र को भरना: शुल्क जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क प्राप्ति का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें 48 घण्टे (दो दिन) का समय लग सकता है। **विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क–प्राप्ति के सत्यापन के पश्चात ही अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home page के Apply Online वाले Option में जाकर अभ्यर्थी बैंक द्वारा दिया गया रिफरेन्स नम्बर DUxxxxxxxx तथा जन्मतिथि (YY/MM/DD) का प्रयोग करते हुए आवेदन पत्र को भरेगा।**

पद – 5: अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना: अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए लिंक [Upload Image] की सहायता से अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज का **फोटो** तथा **हस्ताक्षर** अपलोड करेगा।

पद – 6: फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँचने के पश्चात् Submit करेगा। यदि दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन किया जाना है तो **Fill Again** द्वारा जानकारी को परिवर्तित करके **Confim** करेगा। तथा आवेदन पत्र को प्रिंट [Print] करेगा। **एक बार Confim करने के पश्चात कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है।**

तत्पश्चात् अभ्यर्थी को एक रजिट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड उसके द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर तथा ई मेल में दिया जायेगा, जिसको अभ्यर्थी आवेदन पत्र को दोबारा प्रिंट करने तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रयोग करेगा एवं सुरक्षित रखेगा।

(अभ्यर्थी प्रिंट किये गये आवेदन पत्र की प्रति को भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखेगा तथा निर्धारित जाँच केन्द्रों में प्रमाण पत्रों की जाँच के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।)

9. प्रवेश–परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र प्राप्त करना:

9.1: निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रवेश–परीक्षा में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधिकारिक प्रवेश–पत्र नहीं होंगे वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। प्रवेश परीक्षा की तिथि को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

9.2: प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home Page से Admit Card लिंक के द्वारा, आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्रों/वेबसाइट पर दी गई तिथि के उपरान्त अपनी पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए प्रिन्ट कर सकता है। **अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वैबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त होंगे तथा प्रवेश–पत्र को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।**

10. प्रवेश–परीक्षा हेतु केन्द्र: एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2017 के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय के द्वारा निम्नलिखित दो केन्द्र बनाए गए हैं –

1. एस0एस0जे0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
2. डी0एस0बी0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

11. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँः अभ्यर्थी प्रवेश–परीक्षा से सम्बन्धित निम्न प्रस्तावित तिथियों को नोट करें –

क्र0सं0	विवरण	प्रारम्भ	अंतिम तिथि
1.	लाइन खुलने तथा अन्तिम तिथि	05.05.2017	31.05.2017
2.	शुल्क जमा करना	05.05.2017	31.05.2017
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना	07.05.2017	02.06.2017
4.	प्रवेश–पत्र डाउनलोड करना	15.06.2017	परीक्षा तिथि तक
5.	परीक्षा की तिथि	विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्रों/वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित की जायेगी।	

12. परीक्षा परिणाम की घोषणाः प्रवेश–परीक्षा सम्पादित होने तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच होने के पश्चात प्रवेश–परीक्षा का परिणाम व वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in के माध्यम से घोषित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाएगा।

13. कक्षाओं में प्रवेश/काउन्सिलिंगः

13.1. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों व आरक्षण के आधार पर वरीयता सूची निर्मित की जाएगी। एम0एड0 प्रवेश परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा–परिणाम घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है। एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश **ऑफ लाइन काउन्सिलिंग** के पश्चात वरीयता सूची के अनुसार होंगे।

13.2. प्रवेश हेतु चयनित प्रवेशार्थियों को निधारित अवधि के अन्दर परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर प्रवेश न लेने वाले प्रवेशार्थी का दावा समाप्त समझा जाएगा तथा उसके/उनके बाद के अभ्यर्थी को (प्रतीक्षा सूची से) प्रवेश दे दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in पर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रवेशार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

13.3. प्रमाण पत्रों की जाँच/प्रवेश के समय निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है –

अ – हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र

ब – इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र

स – स्नातक/स्नातकोत्तर/बी0एड0 अथवा अन्य अर्हता परीक्षा की अंक तालिका

द – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)

य – क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

र – **प्रिंट (Print out)किया गया आवेदन पत्र।**

14. अन्य निर्देश:

14.1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

14.2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आंकलन कर सही/सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरें। वांछित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति एवं मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी सूचना के अपूर्ण/असत्य पाए जाने पर प्रवेशार्थी का दावा निरस्त किया जा सकता है अथवा प्रविष्ठ परीक्षार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अन्तिम माना जाएगा।

14.3. प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। **केवल पात्र प्रवेशार्थी ही आवेदन करें। अपात्र प्रवशार्थी का प्रवेश/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।**

14.4 किसी भी वाद की स्थिति में वाद का परिक्षेत्र मुख्यालय, नैनीताल होगा।

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप एम0एड0 हेतु)

प्रमाण–पत्र I (अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0...आत्मज/आत्मजा श्री.. निवासी .... तहसील...जनपद... उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हैं तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

दिनांक.................................

हस्ताक्षर सील सहित

जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी/तहसीलदार

प्रमाण–पत्र II (उत्तरांचल भाासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)–2001 दिनांक 18–7–2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण–पत्र)

(शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0... पुत्र/पुत्री श्री..निवासी ग्राम....................................तहसील....................................... जिला...उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम).........................की जाति के व्यक्ति हैं यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची–2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0–2/1995 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम...तहसील.......................................जिला.........................में सामान्यतया रहता है। यह प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री...की जांच आख्या................. पर जारी किया गया है।

स्थान..........................	प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
दिनांक........................	उपजिलाधिकारी	तहसीलदार
	सील सहित	सील सहित

नोटः– अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के **शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18–7–2001** में उल्लिखित एवं शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा।

तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

<u>प्रमाण–पत्र III (विकलांग अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0...आत्मज/आत्मजा श्री... निवासी .... तहसील...जनपद.. उत्तराखण्ड राज्य के विकलांग की श्रेणी में आते हुए चर्मरोग,हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिससे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

दिनांक................................ **हस्ताक्षर सील सहित**

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोटः– न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

प्रमाण–पत्र IV (प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि ....श्री / श्रीमती / कु0... आत्मज / आत्मजा श्री.. प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद) .... पर कार्य कर रहे हैं / कार्य किया / ससम्मान सेवानिवृत्त हुये / उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी / वह अपंग सेवा निवृत्त हो गये थे तथा श्री / श्रीमती / कु0 ....इनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं।

दिनांक................................. **हस्ताक्षर सील सहित**

ऑफिसर कमाण्डेन्ट / सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

<u>प्रमाण–पत्र V (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..आत्मज/आत्मजा श्री...भूतपूर्व सैनिक ने...के पद पर कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक...............................   हस्ताक्षर सील सहित

ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण–पत्र VI (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती...आत्मज/आत्मजा श्री...शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं/थे तथा श्री/श्रीमती/कु0..इनके पुत्र/पुत्री/पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हैं।

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर सील सहित

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी

नोटः– प्रमाण–पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

<u>प्रमाण–पत्र VII (विधवा या तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती..आत्मज/आत्मजा श्री... एक विधवा/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला हैं, इनके पति श्री ....की मृत्यु हो गयी/तलाक/परित्यक्ता दिनांक .... को कर दिया गया है।

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर सील सहित

उपजिलाधिकारी

नोटः– कानूनी प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र VIII (पुलिस / पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0 के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..आत्मज / आत्मजा श्री..विभाग.....................................पद..पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत हैं / ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर

पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 / आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0

नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाण–पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।

प्रमाण–पत्र IX (मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक, नियमित, वैतनिक शिक्षक का वार्ड या शिक्षणेत्तर कर्मचारी का वार्ड)

नोटः1. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य के प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा निर्गत एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र सही एवं विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अभिलेख के आधार पर है। प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी अपना पूरा नाम व पद का उल्लेख करें।

2. बिना प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर अधिमान अंकों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. आत्मज/आत्मजा श्री..इस विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में दिनांक.. से ....तक .... के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत हैं/सेवा निवृत्त हो चुके हैं। श्री श्री/श्रीमती/कु0 .... इनके पुत्र/पुत्री अथवा पति/पत्नी हैं।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर सील सहित

(निर्गत करने वाले अधिकारी के नाम तथा पद का भी उल्लेख करें।)

प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(सील सहित)

प्रमाण–पत्र X (वर्तमान में मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में अनवरत/कार्यरत/नियमित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी हेतु।)

नोटः 1. त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिये निर्गत अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

2. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के मान्यता प्राप्त (पूर्णकालिक, नियमित पूर्ण वेतनमान पर, वैतनिक स्वयं शिक्षक) शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य का प्रमाण–पत्र उच्च शिक्षा अधिकारी/जि0शि0अ0/अपर जिला शिक्षा अधिकारी/सहा0 आयुक्त शिक्षा/संयु0 शिक्षा निदेशक/अपर शिक्षा निदेशक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा निदेशक/ केन्द्रीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तभी अंक देय होंगे। वर्तमान वर्ष तक एवं आवेदन करने तक का प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी का होना आवश्यक है, जिसमें आवेदनकर्त्ता के साथ सम्बन्ध का भी उल्लेख हो।

3. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तथा पॉलीटेक्निक शिक्षण संस्थाओं की स्थिति में स्वयं शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रमाण–पत्र प्राचार्य/प्राचार्या/ विश्वविद्यालय कुलसचिव/ सम्बन्धित संकायाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तभी अंक देय होंगे।

4. वित्त–विहीन–मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत एवं स्वयं सेवक के रूप में अंशकालिक तथा बिना वेतनमान में कार्यरत (मात्र शिक्षण अनुभव पर) होने पर अतिरिक्त अंक देय नहीं होंगे।

5. आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रमाण–पत्र पर नियमानुसार कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6. किसी भी त्रुटिपूर्ण तथा मानकों के प्रतिकूल जमा किये गये प्रमाण–पत्र पर अंक देय नहीं होंगे तथा इसके लिये अभ्यर्थी की स्वयं जिम्मेदारी होगी।

7. बिना प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर अधिमान अंकों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. आत्मज/आत्मजा श्री...इस विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में दिनांक................................ से ....तक वेतनमान.. में ....के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत हैं/सेवा निवृत्त हो चुके हैं। श्री/ श्रीमती/कु0 ....इनके पुत्र/पुत्री अथवा पति/पत्नी हैं।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर सील सहित

(निर्गत करने वाले अधिकारी के नाम तथा पद का भी उल्लेख करें।)

प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(सील सहित)

****